उत्तर प्रदेश शासन

न्याय अनुभाग-2 (अधीनस्थ न्यायालय)

संख्या- 10/2021/195/सात-न्याय-2-2021-31जी/2008

लखनऊः दिनांक 23 मार्च, 2021

अधिसूचना

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के भाग दस और उक्त संहिता की धारा 89 की उपधारा (2) के खण्ड (घ) के अधीन प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति एवं इस निमित्त समस्त अन्य समर्थकारी शक्तियों का प्रयोग करके उच्च न्यायालय, इलाहाबाद निम्नलिखित नियमावली बनाता है:-

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021

1- **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:**

यह नियमावली उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली 2021 कही जायेगी।

यह सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से प्रवृत्त होगी |

2- **विस्तार:**

यह नियमावली उच्च न्यायालय इलाहाबाद के अधीनस्थ किसी न्यायालय में लम्बित किसी वाद या अन्य कार्यवाही के सम्बन्ध में जिला में स्थापित मध्यस्थता और सुलह केन्द्र हेतु निर्दिष्ट मध्यस्थता पर लागू होगी ।

3- **मध्यस्थों का पैनल:**

(एक) मध्यस्थों का एक पैनल तैयार करने के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश निम्नलिखित व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित करेंगे:-

(क) ऐसे अधिवक्ता, जिनके पास न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो;

(ख) सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश;

(ग) ऐसे वृत्तिक/विशेषज्ञ, जिनके पास अपने-अपने क्षेत्रों में कम से कम 15 वर्ष का अनुभव हो और जो विधि के क्षेत्र से सुपरिचित हों ।

आवेदकों को एक उपक्रम प्रस्तुत करना होगा कि वे भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे ।

(दो) जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रत्यय पत्रों का मूल्यांकन करने के पश्चात्, पात्र आवेदकों की सूची तैयार करेंगे। ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम इस सूची में सम्मिलित हों, को विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा ।

(तीन)जिला एवं सत्र न्यायाधीश तत्पश्चात् उच्च न्यायालय और उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्यक रूप से सूचित करने के पश्चात् मध्यस्थता प्रशिक्षण

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले व्यक्तियों के मध्य से एक मध्यस्थता पैनल तैयार करेंगे। ऐसे व्यक्तियों, जिनके नाम पैनल में सम्मिलित हों, को अनुसूची-एक में दिये गये प्रपत्र में अन्तर्विष्ट आवेदन जमा करना होगा;

परन्तु यह कि इस नियमावली की किसी बात से जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा पहले ही तैयार किये गये पैनल की निरन्तरता प्रभावित नहीं होगी; किन्तु ऐसे मध्यस्थों, जिनके नाम पैनल में सम्मिलित किये गये हों, को उक्त नियमावली के सरकारी गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से एक वर्ष के भीतर विहित मध्यस्थता प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा जिसमें विफल होने पर उनके नाम उक्त पैनल से स्वत: निकाल दिये गये समझे जायेंगे।

(चार) प्रत्येक पैनल में सम्मिलित मध्यस्थ की पदावधि, पैनल बनाये जाने के दिनांक से तीन वर्ष के लिये होगी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से रिपोर्ट मंगाने के पश्चात्, मध्यस्थों की पदावधि में अग्रतर तीन वर्ष की अवधि के लिए वृद्धि कर सकते हैं। बढायी गयी अवधि के समाप्त होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, समय-समय पर उसी रीति से पदावधि में वृद्धि कर सकते हैं । पदावधि में वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय तथा उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को सम्यक रूप से सूचित किया जायेगा;

(पांच) पैनल में अन्तर्विष्ट किये गये मध्यस्थों के नाम जिला न्यायालय और दूरस्थ न्यायालयों के स्वीकृत बार एसोसिएशनों के सूचना पटटों पर सम्यक् रूप से प्रकाशित किये जायेंगे;

(छ:) ऐसे सम्बन्धित न्यायाधीशों का एक मध्यस्थता पैनल होगा जो मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति के 40 घण्टे का प्रशिक्षण पूरा कर लिया हो, जिसमें उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा और उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के सदस्य सम्मिलित होंगे ।

4- **<u>मध्यस्थ का नामनिर्देशन:</u>**

(एक) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, नियम 3 के अधीन, पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता करने के लिये बनाये गये मध्यस्थता पैनल से मध्यस्थ/ मध्यस्थों को नामनिर्दिष्ट करेगा;

परन्तु यह कि ऐसे किसी व्यक्ति, जो विवाद के विषय-वस्तु से हितबद्ध या सम्बद्ध हो या ऐसे किसी पक्षकार या ऐसे व्यक्तियों से सम्बद्ध हो, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हों, को जब तक कि लिखित रूप में उक्त समस्त पक्षकारों द्वारा ऐसी आपत्ति को अधिव्यक्त न कर दिया जाय, मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा; परन्तु यह और कि ऐसे किसी विधि व्यवसायी, जो उन्हीं पक्षकारों के मध्यवाद या किसी अन्य वाद या कार्यवाहियों में किसी पक्षकार के लिये उपस्थित हुआ हो या हो रहा हो, को मध्यस्थ के रूप में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जायेगा।

(दो) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, नियम 3 में निर्दिष्ट मध्यस्थों के पैनल में से किसी व्यक्ति को नामनिर्दिष्ट करते समय, वाद में अन्तर्ग्रस्त किसी विशिष्ट

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

श्रेणी के विवाद का समाधान करने के लिए मध्यस्थ की उपयुक्तता पर विचार करेगा और उनको अधिमान प्रदान करेगा, जिन्होंने सफलतापूर्वक मध्यस्थता का कीर्तिमान स्थापित किया हो या जो ऐसे मामलों में विशेष अर्हताएं या अनुभव धारित करते हों।

5- **<u>पैनल में सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की अनर्हताएं:</u>**

निम्नलिखित व्यक्ति, मध्यस्थों के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिये पात्र नहीं होंगे:-

(एक) ऐसा कोई व्यक्ति, जो दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया हो या विकृतचित्त का घोषित किया गया हो;

(दो) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया हो;

(तीन) ऐसा कोई व्यक्ति, जो नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध ठहराया गया हो;

(चार) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हों या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो; और

(पांच) ऐसे अन्य श्रेणी के व्यक्ति, जिन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित किया जाय ।

6- **<u>मध्यस्थता संचालित करने के लिए स्थान :</u>**

मध्यस्थ (मध्यस्थगण) निम्नलिखित में से किसी स्थान पर मध्यस्थता संचालित करेगा/करेंगे:-

(एक) आनुकल्पिक विवाद समाधान केन्द्र/लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत का स्थान; या

(दो) मध्यस्थता संचालित करने के प्रयोजनार्थ जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा न्यायालय परिसर के भीतर चिन्हित कोई स्थान ।

7- **<u>कतिपय तथ्यों को प्रकट करने के निमित्त मध्यस्थ का कर्तव्य:</u>**

(एक) जब कोई मध्यस्थ, नियम 4 के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जायेगा तब वह सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अपनी स्वतंत्रता या निष्पक्षता के सम्बन्ध में न्यायसंगत संदेह उत्पन्न करने वाली किन्हीं परिस्थितियों के सम्बन्ध में लिखित रूप में प्रकट करेगा;

(दो) प्रत्येक मध्यस्थ, मध्यस्थता की कार्यवाहियां जारी रहने के दौरान खण्ड (झ) में निर्दिष्ट किसी परिस्थिति के विद्यमान होने के सम्बन्ध में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को अविलम्ब लिखित रूप में प्रकट करेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- **किसी मध्यस्थ के नामनिर्देशन को रद्द किया जाना:**

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का सचिव, किसी मध्यस्थ के नामनिर्देशन को रद्द कर सकता है और नियम 3 के अधीन तैयार किये गये पैनल से अन्य मध्यस्थ को नामनिर्दिष्ट कर सकता है और जिला एवं सत्र न्यायाधीश को सूचित कर सकता है;

(एक) नियम 7 के अधीन मध्यस्थ द्वारा सूचना उपलब्ध कराये जाने पर; या

(दो) सम्यक रूप से सत्यापित किये जाने के पश्चात् किसी अन्य न्यायसंगत कारक से ।

9- **पैनल से नाम (नामों) का निकाला जाना:**

नियम 3 में निर्दिष्ट पैनल में सम्मिलित किये गये किसी मध्यस्थ का नाम, जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा निकाला जा सकता है, यदि:-

(एक) वह किसी कारणवश पैनल से त्यागपत्र दे देता है या उससे प्रत्याहृत हो जाता है; या

(दो) वह दिवालिया या विकृतचित्त का घोषित कर दिया जाता है; या

(तीन) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आरोप-पत्र प्रस्तुत कर दिया गया हो; या

(चार) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिये किसी न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो; या

(पांच) वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके विरूद्ध समुचित अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनिक कार्यवाहियाँ प्रारम्भ की गयी हों; या फलस्वरूप दण्डित किया गया हो; या

(छः) वह, मध्यस्थता प्रक्रियायें जारी रहने के दौरान ऐसा आचरण प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है जो किसी मध्यस्थ के लिए अशोभनीय हो; या

(सात)जिला एवं सत्र न्यायाधीश का सूचना प्राप्त करने पर या अन्यथा रूप से समाधान हो जाने पर कि पैनल में मध्यस्थ का नाम जारी रखना वांछनीय नहीं है;

परन्तु यह कि या तो खण्ड (छः) या (सात) के अधीन मध्यस्थ का नाम निकालने से पूर्व, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सम्बन्धित मध्यस्थ को एक अवसर प्रदान करने के पश्चात् एक तर्कसंगत आदेश पारित करेगा ।

10- **न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को प्रस्तुत किया जाने वाला वाद-पत्रक:**

अनुसूची-2 में दिये गये प्रपत्र में न्यायालय द्वारा मध्यस्थता केन्द्र को अनुसूची-2 में दिये गये प्रपत्र में एक वाद पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा।

11- **मध्यस्थता संचालित करने की प्रक्रिया :**

(एक)मध्यस्थ, मध्यस्थता का संचालन करने के लिए मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति, उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा यथा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करेगा;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(दो) मध्यस्थता केन्द्र, न्यायालय द्वारा मध्यस्थता हेतु वाद निर्दिष्ट किये जाने के सम्बन्ध में पक्षकारों और उनके वकीलों को अनुसूची 3 में यथा विहित लिखित नोटिस जारी करेगा;

(तीन) पक्षकारों को अनुसूची-4 में यथा अन्तर्विष्ट सूचना-पत्रक प्रस्तुत किया जायेगा;

(चार) मध्यस्थ, पक्षकारों के परामर्श से प्रत्येक मध्यस्थता सत्र की समय सारणी, दिनांक, समय और उसका स्थान नियत करेगा;

(पांच) मध्यस्थ, पक्षकारों के साथ संयुक्त या पृथक सत्र संचालित कर सकता है;

(छः) प्रत्येक पक्षकार मध्यस्थ को अभिवचनों या दस्तावेज की प्रतियाँ या ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा जैसा कि मध्यस्थों द्वारा समाधान किये जाने वाले बिन्दुओं के सम्बन्ध अपेक्षित हो;

परन्तु यह कि जहां मध्यस्थ की राय हो कि किसी मूल दस्तावेज का परीक्षण किया जाना अपेक्षित है तो न्यायालय, ऐसी अनुज्ञा प्रदान कर सकता है;

(सात) प्रत्येक पक्षकार, मध्यस्थ को ऐसी अन्य सूचना उपलब्ध करायेगा जो मध्यस्थों द्वारा समाधान किये जाने वाले बिन्दुओं के सम्बन्ध में अपेक्षित हो।

12- **<u>मध्यस्थ, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 या सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 द्वारा आबद्ध नहीं होगा:-</u>**

मध्यस्थ, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्धों द्वारा आबद्ध नहीं होगा, किन्तु निष्पक्षता और न्याय के सिद्धान्तों के साथ-साथ मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति उच्चतम न्यायालय, भारत द्वारा निर्धारित प्रक्रिया द्वारा मार्गदर्शित होगा और उसे पक्षकारों के अधिकारों और दायित्वों, व्यापारिक उपयोग, यदि कोई हो और विवाद की प्रकृति के प्रति भी सम्यक रूप से ध्यान देना होगा ।

13- **<u>सत्रों में पक्षकारों की उपस्थिति:</u>**

(एक) (क) भारत में निवास करने वाले पक्षकार व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे या उनका प्रतिनिधित्व मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किये गये सत्रों में उनके मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकता है;

(ख) मध्यस्थ द्वारा निर्धारित सत्रों में भारत में निवास न करने वाले पक्षकारों का प्रतिनिधित्व उनके वकीलों या मुख्तारनामा धारकों द्वारा किया जा सकता है;

(दो) यदि कोई पक्षकार, विमर्शित या जानबूझकर किये गये कृत्य के कारण मध्यस्थ द्वारा निर्धारित किये गये सत्र में उपस्थित होने में विफल रहता है तो अन्य पक्षकार न्यायालय में आवेदन कर सकता है, जहाँ वाद या कार्यवाही लम्बित हो और न्यायालय, तथ्यों और वाद की परिस्थितियों को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुये समुचित निदेश जारी कर सकता है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14- मध्यस्थ की भूमिका:

मध्यस्थ:

(एक) पक्षकारों द्वारा विवाद के स्वैच्छिक समाधान को सुगम बनाने का प्रयास करेगा और प्रत्येक पक्षकार के दृष्टिकोण को अन्य पक्षकार को संसूचित करेगा;

(दो) मुद्दों की पहचान करने और भ्रान्तियों को स्पष्ट करने में पक्षकारों की सहायता करेगा;

(तीन) पक्षकारों को सूचित करेगा कि मध्यस्थ केवल पक्षकारों को समझौता पर पहुँचने में सुगमता प्रदान कर सकता है;

(चार) प्राथमिकताओं के क्षेत्र को स्पष्ट करेगा, समझौता के क्षेत्रों की खोज करेगा और विवाद समाधान करने के प्रयास सृजित करेगा;

(पांच) इस बात पर जोर देगा कि किसी समझौता पर पहुंचना पक्षकारों का दायित्व है; और

(छः) मध्यस्थ, पक्षकारों पर समझौता की कोई शर्त अधिरोपित नहीं करेगा ।

15- **मध्यस्थता पूरा करने की समय सीमा:**

मध्यस्थ के समक्ष पक्षकारों की प्रथम उपस्थिति के लिए नियत दिनांक से साठ दिन की समाप्ति पर मध्यस्थता समाप्त हो जायेगी तथापि असाधारण परिस्थितियों में पक्षकारों की सहमति से समय सीमा में तीस दिन तक की वृद्धि की जा सकती है, तत्पश्चात् यदि दोनों पक्षकारों की सहमति हो तो निर्दिष्टकर्ता न्यायाधीश की अनुज्ञा से, समय में नब्बे दिन के पश्चात् वृद्धि की जा सकती है ।

16- **सूचना की गोपनीयता, प्रकटीकरण और उसकी अग्राह्यता:**

(एक) जब कोई मध्यस्थ किसी पक्षकार से विवाद से सम्बन्धित सूचना प्राप्त करता है, जिसे वह गोपनीय मानता है, तब वह प्रथम पक्षकार की लिखित अनुज्ञा से ही ऐसी सूचना का सारांश अन्य पक्षकार को प्रकटित कर सकता है;

(दो) जब कोई पक्षकार किसी मध्यस्थ को इस शर्त से कि इसे गोपनीय रखा जाय, के अध्यधीन कोई सूचना देता है तब मध्यस्थ उस सूचना का प्रकटीकरण अन्य पक्षकार को नहीं करेगा;

(तीन) मध्यस्थ, मध्यस्थता के प्रक्रम के दौरान प्राप्त कोई सूचना, दस्तावेज या रिपोर्ट न तो स्वेच्छा से प्रकट करेगा और न ही उसे प्रकट करने के लिये बाध्य किया जायेगा और न ही मध्यस्थ को यह प्रकट करने के लिए बाध्य किया जायेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित न होने के लिए मध्यस्थता के दौरान किसी पक्षकार को क्या हुआ;

(चार) पक्षकार निम्नलिखित के सम्बन्ध में गोपनीयता बनाये रखेंगे:-

(क) मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान पक्षकारों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण;

(ख) मध्यस्थता के दौरान प्राप्त किये गये दस्तावेज या पक्षकारों या मध्यस्थों द्वारा दी गयी अन्य टिप्पणियाँ, आलेख या सूचना, जिन्हें गोपनीय माने जाने की स्पष्ट रूप से अपेक्षा की गयी है;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(ग) मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्ताव या अभिव्यक्त किये गये दृष्टिकोण;

(घ) मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान किसी पक्षकार द्वारा की गयी स्वीकारोक्ति (स्वीकारोक्तियां);

(ङ•) यह तथ्य कि किसी पक्षकार ने किसी प्रस्ताव को स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त की है या नहीं व्यक्त की है;

(पाँच) मध्यस्थता कार्यवाहियों की श्रब्य एवं दृश्य अभिलेखन सहित कोई अभिलेखन नहीं किया जायेगा ।

17- **<u>निजता:</u>**

मध्यस्थता सत्र निजी होते हैं जिनमें केवल सम्बन्धित पक्षकार या उनके वकील या मुख्तारनामा धारक ही उपस्थित हो सकते हैं । अन्य व्यक्ति केवल पक्षकारों की सहमति से और मध्यस्थ की अनुज्ञा से कार्यवाहियों में उपस्थित हो सकते हैं ।

18- **<u>उन्मुक्ति:</u>**

कोई मध्यस्थ किसी सिविल या दांडिक कार्यवाही हेतु मध्यस्थता की कार्यवाहियों के दौरान सद्भावनापूर्वक कृत या लोप किये गये किसी बात के लिये उत्तरदायी होगा और न ही मध्यस्थ को किसी पक्षकार द्वारा प्राप्त सूचना या कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में अथवा मध्यस्थता कार्यवाहियों के दौरान तैयार किये गये या दर्शाये गये आलेखों या अभिलेखों के सम्बन्ध में परीक्षण करने हेतु किसी न्यायालय में उपस्थित होने हेतु वाद या कार्यवाही के लिये समन किया जायेगा ।

19- **<u>मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य पत्रव्यवहार:</u>**

(एक) इस नियम के खण्ड (दो) और (तीन) में यथा उपबन्धित के सिवाय, मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार नहीं होगा;

(दो) यदि मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य कोई पत्र व्यवहार आवश्यक समझा जाय, तो यह लिखित में होगा और उसकी प्रतियां पत्रकारों या उनके वकीलों या मुख्तारनामा धारकों को प्रदान की जायेंगी;

(तीन) मध्यस्थ और न्यायालय के मध्य पत्र व्यवहार निम्नलिखित तक सीमित होगा:-

(क) पक्षकारों के मध्य विवाद का समझौता; या

(ख) पक्षकारों के मध्य समझौता करने में विफलता; या

(ग) मध्यस्थता के माध्यम से समझौता करने के लिए पक्षकारों की अनिच्छा ।

20- **<u>समझौता करार:</u>**

(एक) जहाँ वाद में समस्त विवाद्यकों या कतिपय विवाद्यकों या किसी अन्य कार्यवाहियों के सम्बन्ध में पक्षकारों के मध्य कोई करार किया जाता है, वहाँ उक्त करार लिखित रूप में किया जायेगा और उस पर पक्षकारों या मुख्तारनामा धारकों द्वारा हस्ताक्षर

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

किया जायेगा। यदि वकीलों ने पक्षकारों का प्रतिनिधित्व किया हो तो वे अपने-अपने पक्षकारों के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित करेंगे। उक्त करार यथाशक्य अनुसूची पांच के अनुरूप होगा;

(दो) इस प्रकार हस्ताक्षरित तथा अभिप्रमाणित करार ऐसे मध्यस्थ को प्रस्तुत किया जायेगा जो स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित आवरणपत्र के साथ उसे उस न्यायालय को अग्रसारित करेगा जिसमें वाद या अन्य कार्यवाही विचाराधीन हो;

(तीन) जहाँ नियम 15 में निर्धारित समय के भीतर पक्षकारों के मध्य कोई करार न हुआ हो अथवा जहाँ मध्यस्थ का यह विचार हो कि कोई समझौता सम्भव नहीं है वहां वह तत्सम्बन्ध में लिखित रूप में न्यायालय को सूचित करेगा;

(चार) मध्यस्थ ऐसा दिनांक नियत करेगा जिस दिनांक को पक्षकार सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं और उस अवधि के भीतर उसे अनुसूची छः के अनुसार न्यायालय को रिपोर्ट प्रस्तुत करना होगा ।

21- **<u>मध्यस्थ की फीस:</u>**

इस नियमावली के प्रारम्भ होने से प्रभावी मध्यस्थों की फीस निम्नानुसार होगी:-

(एक) सफल मध्यस्थता पर, कोई मध्यस्थ रू 3,000/- के भुगतान के लिये हकदार होगा;

(दो) यदि पक्षकार किसी समझौते पर नहीं पहुँचते हैं, किन्तु प्रत्येक एक घण्टे के कम से कम तीन सत्र आयोजित किए गए हों, तो कोई मध्यस्थ 1,500/- के भुगतान के लिये हकदार होगा;

परन्तु यह कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति समय-समय पर फीस संरचना में संशोधन कर सकते हैं ।

22- **<u>मध्यस्थ द्वारा अनुसरण किये जाने वाले आधार:</u>**

<u>मध्यस्थ:</u>

(एक) इस नियमावली का सख्ती से और सम्यक तत्परता से अनुपालन करेगा;

(दो) ऐसा कोई क्रियाकलाप या आचरण नहीं करेगा जिसे किसी मध्यस्थ के लिये युक्तियुक्त पूर्वक अशोभनीय माना जाय;

(तीन) मध्यस्थता प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता को बनाये रखेगा;

(चार) यह सुनिश्चित करेगा कि मध्यस्थता में सम्मिलित पक्षकारों को निष्पक्ष रूप से सूचित किया जाय और उनमें प्रक्रिया के प्रक्रियागत पहलुओं की पर्याप्त समझ हो;

(पाँच) स्वयं समाधान करेगा/करेगी कि वह सौंपे गये कार्य को व्यावसायिक रूप में ग्रहण करने और उसे पूर्ण करने के लिए अर्ह है;

(छः) निष्पक्षता को संभाव्य रूप में प्रभावित करने वाले ऐसे किसी हित या सम्बन्ध को प्रकट करेगा जिसमें पक्षपात या पूर्वाग्रह परिलक्षित हो;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(सात) पक्षकारों को संसूचित करने के दौरान किसी अशिष्टता से बचेगा;

(आठ) मध्यस्थ के पद के लिए स्थापित विश्वास और गोपनीयता के सम्बन्ध के प्रति निष्ठावान रहेगा;

(नौ) इस बात की मान्यता प्रदान करेगा कि मध्यस्थता पक्षकारों द्वारा आत्म अवधारण के सिद्धान्तों पर आधारित है और यह कि मध्यस्थता प्रक्रिया समझौता पर पहुँचने हेतु पक्षकारों की योग्यता पर निर्भर होती है;

(दस) गोपनीयता के सम्बन्ध में पक्षकारों की युक्तियुक्त प्रत्याशाओं को बनाए रखेगा; तथा

(ग्यारह) वचन या प्रत्याभूतियाँ प्रदान करने से बचेगा।

23- निरसन:

उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया मध्यस्थता नियमावली, 2009 इस नियमावली के प्रवृत्त होने के दिनांक से निरसित हुई मानी जायेगी ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--एक

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(मध्यस्थ के रूप में पैनल में सम्मिलित किये जाने के लिए आवेदन)

1. नाम:
2. पिता का नाम:
3. पता:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
4. दूरभाष संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
5. मोबाइल संख्या:
   (क) कार्यालय:
   (ख) निवास:
6. ई-मेल आईडी:
7. शैक्षणिक अर्हताएं:
8. व्यावसायिक अर्हताएं और अनुभव:
9. तकनीकी अनुभव, यदि कोई हो:
10. मध्यस्थता में विशेष अर्हता या अनुभव, यदि कोई हो:
11. बार काउंसिल नामांकन संख्या और दिनांक:
    (केवल अधिवक्ताओं के लिए लागू)
12. क्या आपके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आरोप-पत्र प्रस्तुत किया गया है?
13. क्या आपको किसी नैतिक अधमता से अन्तर्वलित अपराध के लिए न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया गया है?
14. क्या आपको दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है या विकृतचित्त का होना घोषित किया गया है?
15. क्या आपके विरूद्ध अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा कोई अनुशासनिक कार्यवाहियां प्रारम्भ की गयी हैं, या क्या आपको ऐसी अनुशासनिक कार्यवाहियों में दण्डित किया गया है? :

मैं..... एतदद्वारा निवेदन करता हूँ कि मैं..... न्यायालय में मध्यस्थ के रूप में पैनल में रखे जाने हेतु इच्छुक हूँ और उत्तर प्रदेश सिविल प्रक्रिया (जिला न्यायालय) मध्यस्थता नियमावली, 2021 के नियम 3 के अधीन पैनल में रखे जाने के लिये अपनी सहमति देता हूँ । यह आश्वासन देता हूँ कि मध्यस्थ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान, मैं अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के दौरान उक्त नियमावली के नियम 22 में यथा विहित आचारों का अनुसरण करूंगा । मैं, भारत के उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा यथा विहित मध्यस्थ प्रशिक्षण ग्रहण करने का वचन भी देता हूँ । मैं घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त प्रस्तुत सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य है और कुछ भी छिपाया नहीं गया है ।

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--दो

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(न्यायालय द्वारा केन्द्र को प्रस्तुत वाद-पत्र)

1. निर्दिष्ट किये जाने का दिनांक:
2. मामला निर्दिष्ट करने वाले पीठासीन अधिकारी / निर्दिष्टकर्ता / न्यायाधीश का नाम:
3. वाद संख्या:
4. वाद की श्रेणी:
5. पक्षकारों के नाम:
6. पक्षकारों से सम्पर्क की सूचना:
7. वकीलों के नाम और उनसे सम्पर्क की सूचना:
8. वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों की सूची:

(सम्बन्धित न्यायालय के रीडर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किया जायेगा)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--तीन

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(पक्षकारों और उनके वकीलों के लिये लिखित सूचना)

1. मध्यस्थता के लिए न्यायालय द्वारा वाद को निर्दिष्ट किया जाना:
2. निर्दिष्ट किये जाने का दिनांक:
3. मध्यस्थता की प्रकिया के सम्बन्ध में सूचना:
4. मध्यस्थ का नाम:
5. मध्यस्थता का दिनांक, समय और स्थान:

(प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--चार

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(पक्षकारों को प्रस्तुत सूचना पत्र)

वाद का नाम:

वाद की संख्या:

मध्यस्थ का नाम:

1. यह मध्यस्थता सौहार्दपूर्ण रीति से विवाद का समाधान करते हुए एक स्वीकार्य संकल्प पर पहुँचने के प्रयोजन से आयोजित की जा रही है । पक्षकारों को इसमें सदभावनापूर्वक सहभागिता करनी चाहिए ।

2. मध्यस्थ, पक्षकारों को मध्यस्थता सत्र के दिनांक, समय और स्थान के सम्बन्ध में सूचित करेगा ।

3. (क) भारत में निवास कर रहे पक्षकार:

(एक) मध्यस्थता सत्र में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने, या

(दो) विवाद का समझौता करने हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं ।

(जो प्रयोज्य न हो उसे काट दें)

(ख) भारत के अनिवासी पक्षकार, विवाद का समझौता करने हेतु प्राधिकार सहित अपने द्वारा बनाये गये अटर्नी या वकील के द्वारा मध्यस्थता सत्रों में प्रतिनिधित्व किये जाने के लिये सहमत हैं ।

4. मध्यस्थ उस सूचना को गोपनीय रखेगा जिसकी पक्षकारों द्वारा उससे गोपनीय रखे जाने का अनुरोध किया जाय ।

5. मध्यस्थता की कार्यवाहियों के प्रक्रम के दौरान, किसी पक्षकार द्वारा व्यक्त या दिये गये दृष्टिकोण या सुझावों या स्वीकारोक्तियों को, मध्यस्थ द्वारा किये गये प्रस्तावों को और किसी पक्षकार द्वारा स्वीकृति के संकेतों को किसी कार्यवाही में पक्षकरों द्वारा साक्ष्य के रूप में न तो लिया जाएगा और न प्रस्तुत किया जाएगा ।

6. पक्षकार सहमत है कि विवाद से किसी भी रूप में सम्बन्धित किसी कार्यवाही में, जो कि मध्यस्थता का विषय हो, मध्यस्थ को गवाह या विशेषज्ञ के रूप में नही बुलाया जायेगा ।

7. यदि पक्षकार किसी समझौता पर पहुंचते हैं, तो उन्हें इस आशय के एक करार पर हस्ताक्षर करना होगा और इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया जायेगा ।

8. उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है और जब तक कि पक्षकार किसी समझौता पर नहीं पहुंचते हैं और करार पर हस्ताक्षर नहीं करते हैं, तब तक कोई भी पक्षकार इस प्रक्रिया को छोडने के लिए स्वतंत्र है ।

9. यदि पक्षकार किसी समझौता पर पहुँचने में विफल रहते हैं तो उक्त मामला वापस न्यायालय को निर्दिष्ट कर दिया जाएगा ।

(प्रत्येक पक्षकार और उनके प्रतिनिधि वकील द्वारा दिनांक सहित हस्ताक्षर किया जाएगा)

पूर्ण हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--पांच

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

(समझौता करार)

यह समझौता करार आज दिनांक.....को श्री.....

जिनकी पहचान श्री..... अधिवक्ता द्वारा की गयी और श्री.....

जिनकी पहचान श्री..... अधिवक्ता द्वारा की गयी, के मध्य किया गया ।

1. इसके पक्षकारों के मध्य विवाद और मतभेद उत्पन्न हो गये थे और दिनांक .....

(संस्थित करने का दिनांक) को..... (सम्बन्धित न्यायालय का विवरण दीजिये) के समक्ष..... (वाद संख्या) दायर की गयी थी ।

2. श्री..... (सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी का नाम और पदनाम) द्वारा दिनांक ..... को पारित आदेश द्वारा उक्त मामला निर्दिष्ट किया गया था ।

3. मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान दिनांक ..... से दिनांक ..... तक बैठकें हुयी और पक्षकारगण ने उपरिउल्लिखित विवादों और मतभेदों को सुलझाने के लिए मध्यस्थ की सहायता से सौहार्दपूर्ण समाधान कर लिया है।

4. पक्षकारगण यहाँ पुष्टि करते हैं और घोषित करते हैं कि उन्होंने मध्यस्थ की उपस्थिति में स्वेच्छया और अपनी स्वतंत्र इच्छा से समझौता का करार किया है ।

5. निम्नलिखित समझौता इसके पक्षकारों के मध्य किया गया:

क.....

ख.....

ग.....

6. इस करार पर हस्ताक्षर करके पक्षकारगण यह बयान करते हैं कि ..... (वाद संख्या) के सम्बन्ध में एक दूसरे के विरूद्ध उनका अब कोई दावे या माँग नहीं रह गये हैं और मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से इस सम्बन्ध में इसके पक्षकारों ने विवादों और मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटा लिया है।

पक्षकार .(पक्षकारगण) का / के दिनांक सहित हस्ताक्षर

वकीलों के दिनांक सहित हस्ताक्षर

(अपेक्षानुसार प्रपत्र में परिवर्द्धन/परिवर्तन अनुज्ञात हैं)

हस्ताक्षर:

दिनांक:

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

अनुसूची--छः

मध्यस्थता और सुलह केन्द्र

(जिला)

न्यायालय की रिपोर्ट

1. न्यायालय वाद संख्या:
2. ..... द्वारा निर्दिष्ट किया गया;
3. निर्दिष्ट करने का दिनांक:
4. मध्यस्थ (क)

   (ख)

   (ग)
5. मध्यस्थता सत्रों का / के दिनांक:

   (एक) मध्यस्थता पूर्ण / करार संलग्न

   या

   (दो) मध्यस्थता पूर्ण / कोई समझौता नहीं हुआ है

   या

   (तीन) पक्षकार मध्यस्थता के इच्छुक नहीं है ।
6. पक्षकारों को निदेश दिया गया है कि वे..... को न्यायालय में उपस्थित हों ।

मध्यस्थ (मध्यस्थगण) का हस्ताक्षर:

दिनांक:

न्यायालय के आदेश से

( )

महानिबन्धक

आज्ञा से,

(प्रमोद कुमार श्रीवास्तव-।।)

प्रमुख सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2021/195(1)/सात-न्याय-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश राजकीय प्रेस ऐशबाग, लखनऊ को अधिसूचना की एक अंग्रेजी की प्रमाणित प्रति सहित इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे उक्त अधिसूचना को उ0प्र0 असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4 खण्ड (ख) के संस्करण में दिनांक 23 मार्च, 2021 की तिथि में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा मुद्रित अधिसूचना की 30 प्रतियां इस अनुभाग को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-10/2021/195(2)/सात-न्याय-2-2021, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को उनके दिनांक पत्रांक-17409/2019/J.R.(J)(I), इलाहाबाद दिनांक 29.11.2019 के संदर्भ में।

(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(3) अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।

(4) न्याय अनुभाग-9 (बजट), उत्तर प्रदेश शासन।

(5) विधायी अनुभाग-1/भाषा अनुभाग-5/राजस्व अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(6) गार्ड बुक हेतु।

आज्ञा से,

(अतुल सिंह)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।